


परिग्रह-पत्र

1 योजना का नाम :- तेलीबाग (वृन्दावन) भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-4, लखनऊ।  
2 ग्राम का नाम :- बरौली खलीलाबाद, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना संख्या-372/भू0अ0-2-1105 (योजना) दिनांक 27/2/04 उ0प्र0 गजट प्रकाशन दिनांक 03/4/04 के क्रम में शासन की विज्ञप्ति संख्या- 970/9-आ-2-2004-5 एच0बी0/2002, लखनऊ, दिनांक 21/07/2004 के अन्तर्गत धारा-17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि में से 18-900 हेक्टेयर भूमि का कब्जा जिसका विवरण निम्न प्रकार है, आज दिनांक 09 जून, 2005 उत्तर-प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ जरिए अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड-3, वृन्दावन योजना, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है :-

ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल		अन्य विवरण
		हेक्टेयर	बी0-वि0-वि0	
बरौली खलीलाबाद	380 मि0,	0-063	0-5-0	
	382 मि0	0-013	0-1-0	
	383/1 मि0	0-126	0-10-0	
	384	0-101	0-8-0	
	385	0-013	0-1-0	
	386	0-076	0-6-0	
	387	0-405	1-12-0	
	388/2	0-051	0-4-0	
	389	0-152	0-12-0	
	390	0-202	0-16-0	
	392	0-354	1-8-0	
	393	0-076	0-6-0	
	394/1	0-999	4-6-0	
	394/2	0-089	शा0न0 394/1	
	395	0-126	0-10-0	
	396	0-329	01-6-0	
	397	0-278	1-2-0	
	398	0-049	0-3-18	
	399	0-005	0-0-8	
	400	0-202	0-16-0	
401	0-138	0-10-19		
402	0-005	0-0-8		
403	0-095	0-7-10		



Handwritten signature and date '09/6/05'.

(3)

444	0-013	0-1-0	
445	0-038	0-3-0	
446	0-076	0-6-0	
447	0-038	0-3-0	
448	0-051	0-4-0	
449	0-468	1-17-0	
450	0-101	0-8-0	
451	0-051	0-4-0	
452	0-076	0-6-0	
453	0-038	0-3-0	
454	0-038	0-3-0	
455	0-202	0-16-0	
456	0-089	0-7-0	
457	0-088	0-7-0	
458	0-025	0-2-0	
459	0-076	0-6-0	
472	0-228	0-18-0	
474	0-063	0-5-0	
475	0-101	0-8-0	
476	0-266	1-1-0	
477	0-354	1-8-0	
478	0-101	0-8-0	
479	0-038	0-3-0	
480	0-152	0-12-0	
481	0-025	0-2-0	
510	0-025	0-2-0	
511	0-278	1-2-0	
638	0-013	0-1-0	
641	0-051	0-4-0	
643	0-163	0-13-0	
731	0-044	0-3-10	
723	0-316	01-5-0	
738	0-759	3-0-0	



*[Handwritten signature]*

(5)

	1132	0-191	0-15-1	
	1133	0-114	0-9-0	
	1036	0-038	0-3-0	
	1037	0-063	0-5-0	
	1074	0-089	0-7-0	
	1191	0-264	1-0-18	
	1241	0-240	0-19-0	
	1242	0-190	0-15-0	
	1244	0-379	1-10-0	
	1251	0-013	0-1-0	
	1252	0-278	1-2-0	
	1255	0-051	0-4-0	
	1310 स	0-038	0-3-0	

योग :-

18-900 हेक्टेयर

उपरोक्त भूमि के कास्तकार को बांग-बहार एवं फराल को पकने पर उठा लेने की अनुमति दी जाती है, अब कोई फसल बोने एवं मिट्टी बेचने का अधिकार न होगा।

उपरोक्त खसरा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उत्तर-प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन निकाय) को आज दिनांक 09 जून, 2005 को हस्तान्तरित किया गया, मौजूद परिसम्पत्तियों का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

महल, सड़क एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।

उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्रें, मंदिर, मस्जिद व अन्य किसी धार्मिक स्थल की भूमि को छोड़कर कब्जा माना जाये।

(कौशल किशोर श्रीवास्तव)

अमीन

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

(सुनील चौधरी)

अवर अभियन्ता

निर्माण खण्ड-3, आवास विकास परिषद,  
लखनऊ।

उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसम्पत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक 09 जून, 2005को प्राप्त किया।

प्रति हस्ताक्षरित

(मिश्री लाल पौसवान)

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0)  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

प्रति हस्ताक्षरित

(एस0 एन0 वर्मा)

प्रभारी आदेशापी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-3, आवास विकास परिषद,  
लखनऊ।

परिशुद्ध-पत्र

योजना का नाम :-तेलीबाग (वृन्दावन) भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना संख्या-4,  
लखनऊ।

ग्राम का नाम :- बरौली खलीलाबाद, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना संख्या-3722 (भू0310)-2-1105 (योजना) दिनांक 27-2-2004 उ0प्र0 गजट प्रकाशन दिनांक 08-4-2004 के क्रम में शासन की विज्ञापित संख्या 970/9-आ-2-2004-5 एच0बी0/2002 लखनऊ, दिनांक 21-7-2004 के अन्तर्गत धारा-17 भूमि अध्यापित अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि में से 26.526 हेक्टेयर भूमि का कब्जा जिसका विवरण निम्न प्रकार है, आज दिनांक 17/04/2006 उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ जरिये सहायक अभियंता, निर्माण एवं नगरपालीय, वृन्दावन योजना, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है :-

ग्राम	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )	अन्य विवरण
1	2	3	4
बरौली खलीलाबाद	391	0.531	
	413	0.063	
	424	0.089	
	430	0.266	
	433	0.048	
	460	0.063	
	461	0.076	

  
क्रमशः .....2/-

1	2	3	4
खलीलाबाद	462	0.063	
	463	0.025	
	464	0.063	
	465	0.063	
	466	0.063	
	467	0.089	
	468	0.038	
	469	0.068	
	470	0.034	
	471	0.010	
	473	0.089	
	482	0.139	
	483	0.202	
	484	0.139	
	485	0.038	
	486	0.126	
	487	0.089	
	488	0.152	
	489	0.278	
	490	0.759	
	491	0.101	




- 2- उपरोक्त खसरा नम्बर की खुली भूमि का कब्जा उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ (अर्जन निकाय) को आज दिनांक 17-01-2006 को हस्तान्तरित किया गया, मौजूद परिसम्पत्तियों का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
- 3- नहर, सड़क एवं निर्माण की भूमि का कब्जा नहीं दिया जा रहा है।
- 4- उपरोक्त खसरा नम्बरों में कब्रें, मन्दिर, मस्जिद व अन्य किसी धार्मिक स्थल की भूमि को छोड़कर कब्जा माना जाये।

  
( कौशल किशोर )

अमीन

कार्यालय विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी,  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

उपरोक्त सम्पत्ति का कब्जा परिसम्पत्तियों को छोड़कर खुली भूमि का आज दिनांक 17/01/2006 को प्राप्त किया।

  
( सुनील चौधरी )


अवर अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-3,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

प्रति हस्ताक्षरित

( अमिताभ प्रकाश )

अपर जिलाधिकारी (भू०अ०)  
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
कलेक्ट्रेट, लखनऊ।

  
( एस० एन० वर्मा )

सहायक अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-3,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

प्रति हस्ताक्षरित

( शकील अहमद )

अधिशाषी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड-3,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

परिग्रह-पत्र

1- योजना का नाम : तेलीबाग वृन्दावन योजना संख्या-4, लखनऊ।

2- ग्राम का नाम : कल्ली पश्चिम, परगना-बिजनौर, तहसील व जिला-लखनऊ।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम की धारा-32 में निर्गत अधिसूचना संख्या-3722 भू०अ०-2-1105 (योजना) दिनांक 27/02/2004 उ०प्र० गजट प्रकाशन दिनांक 03/04/2004 के क्रम में शासन की विज्ञापित संख्या-970/9 /आ-2-2004-5 एच०बी०/2002, लखनऊ दिनांक 21/07/2004 के अधीन अर्जन के लिए अधिसूचना निर्गत की गयी थी। तत्पश्चात ग्राम कल्ली पश्चिम चकबन्दी में होने के फलस्वरूप संशोधित गजट धारा-33 व 55 का शासनादेश संख्या-1608/8-2-2007-5एच०बी०/2002 दिनांक 16.08.2007 तथा संशोधित प्रकाशन की स्वीकृति की विज्ञापित संख्या- 1686/एल०ए०सी०/एच०क्यू० दिनांक 07.07.2008 की संशोधित गजट प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 के अन्तर्गत धारा-7/17 भूमि अध्याप्ति अधिनियम से अर्जित की जा रही भूमि का कब्जा आज दिनांक 10.08.11 को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को ज़रिए सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाता है।

जिसका विवरण निम्न है:-

ग्राम-कल्ली पश्चिम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे० मे)	अन्य विवरण
	927	0.024	
	929	0.329	
	931	0.118	
	932	0.076	
	933	0.031	
	934	0.031	
	935	0.033	
	936	0.022	
	937	0.057	
	938	0.095	
	939	0.016	
	940	0.021	
	944	0.031	
	949	0.034	
	950	0.126	
	951	0.120	
	952	0.145	
	953	0.139	
	954	0.158	
	955	0.006	
	957	0.028	
	958	0.057	

	1119	0.627	
	1121	0.681	
	1122	0.634	
	1125	0.644	
	1136	0.455	
	1138	0.224	
	1139	0.152	
	1140	0.177	
	1141	0.347	
	1142m	0.060	
	1143	0.0025	
	1146	0.139	
	1147	0.316	
	1149	2.387	
	1150m	0.107	
	1150	0.676	
	1150	0.759	
	1150	0.051	
	1150	5.217	
	1150	0.177	
	1150	0.676	
	1150	0.253	
	1150	0.759	
	1150	0.759	
	1150	0.759	
	1150	0.759	
	1150	0.759	
	1150	1.391	
	1150	0.263	
	1150	3.781	
	1150	0.632	
	1150	0.316	
	1150	0.253	
	1151	0.051	
	1152	0.089	
	1153	0.095	
	1154	0.041	
	1155	0.060	
	1156	0.038	
	1161	0.006	
	1273	0.569	
	1273	0.082	

*Spice*

*Rice*

*Ball*

*Spice*

1052	0.038
1053	0.041
1054	0.161
1055	0.069
1056	0.135
1059	0.445
1060	0.271
1061	0.950
1064	0.487
1066	0.111
1067	0.094
1070	0.910
1075	7.770
1077	0.197
1080	0.025
1082	0.522
1084	0.408
1088	0.253
1088m	0.126
1089m	0.114
1089m	0.101
1090	0.253
1091m	0.063
1091m	0.253
1092	0.012
1093	0.013
1094	0.057
1096	0.214
1098	0.272
1100	0.116
1101	0.209
1102	0.144
1103	0.200
1105	0.126
1110	0.391
1112	0.207
1113	0.459
1115	0.927
1116	0.079
1117	0.272
1118	0.856

*Sjip*

*Kalli*

*[Signature]*

## उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद

(आई.एस.ओ. 9001:2000 प्रमाणित संस्था)

(भूमि अर्जन अनुभाग)

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ



5-237/एल०ए०सी०/एच०क्यू०-पत्रावली संख्या-

दिनांक 27-2-12

नोटिस

## (उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 38 के अन्तर्गत नोटिस)

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा "भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-4 (वृन्दावन नऊ" बनायी गयी है। इस योजना के लिए परिषद अधिनियम 1965 की धारा 28 के अधीन नोटिस का प्रकाशन उ० प्र० गजट में दिनांक 04.12.99 को किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 28/29 की धारा के उपरान्त परिषद द्वारा इस योजना में समाविष्ट भूमि के अर्जन के सम्बंध में आवश्यक निर्णय जा चुका है तथा परिषद अधिनियम की धारा 31(2) की स्वीकृति शासन से प्राप्त हो जाने के उपरान्त अधिनियम की धारा 32 (1) के अधीन विज्ञप्ति दिनांक 03.04.04 को उ० प्र० राजकीय गजट में प्रकाशित है। प्रश्नगत योजना के संबंध में भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-7/17 के आदेश/अधिसूचना दिनांक 21.07.2004 को शासन द्वारा निर्गत की गयी। उक्त योजना में समाविष्ट ग्राम कल्ली पश्चिम में कब्जा होने के फलस्वरूप तत्समय भूमि का कब्जा नहीं प्राप्त किया जा सका। उक्त ग्राम में चकबन्दी किया पूर्ण होने के पश्चात पुराने खसरा नम्बर नये खसरा नम्बरों में परिवर्तित हो जाने के कारण परिषद अधिनियम 1965 की धारा-33 व 55 के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-1608/आठ-2-2007-5एच०बी०/2002 दिनांक 16.08.2007 द्वारा दी गयी स्वीकृति के उपरान्त पुराने खसरा नम्बरों के स्थान पर नये खसरा नम्बरों संशोधित गजट प्रकाशन दिनांक 09.08.2008 को कराया गया तदोपरान्त जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा उक्त ग्राम कल्ली पश्चिम की भूमि को करार नियमावली के अन्तर्गत आपसी समझौते द्वारा लिये जाने हेतु प्रतिकर दर रू० 13.50 लाख प्रति बीघा के संबंध में प्रदान की गयी संस्तुति के संबंध में मण्डलायुक्त लखनऊ मण्डल लखनऊ के पत्र संख्या-1431/दिनांक 11.08.2010 द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया गया। जिसके क्रम में उक्त ग्राम की अधिकांश भूमि का कब्जा करार नियमावली के अन्तर्गत खसरा नम्बरों से परिषद द्वारा प्राप्त किया जा चुका है तथा अवशेष भूमि का भी कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति पर है। उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 38(1) के प्राविधानों के अन्तर्गत यह नोटिस आपको सूचना हेतु भेजी जा रही है कि परिषद की उपरोक्त योजना में समाविष्ट ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की ग्राम समाज की भूमि को परिषद की उपरोक्त योजना के अन्तर्गत योजन हेतु आवश्यकता है।

अतः उक्त ग्राम कल्ली पश्चिम परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ की 18.902 हेक्टेयर ग्राम समाज भूमि जिसका विवरण संलग्न है, को एतद्वारा परिषद अपने कब्जे में लेती है और उक्त भूमि अब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत परिषद में निहित समझी जायेगी।

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 की धारा 38(2) के प्राविधानों के अनुसार ऐसी भूमि, सड़क अथवा भाग जैसी भी स्थिति हो परिषद द्वारा तब तक रखी जायेगी, जब तक धारा 41 के अधीन



104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ, (उ० प्र०) / 104, Mahatma Gandhi Marg, Lucknow (UP)

दूरभाष:-0522-2238741, 2238711, 2237723, 2238835, फ़ैक्स-2237609

ई-मेल / upavp@sancharnet.in वेबसाइट / www.upavp.com



	1095		
	1097	0.022	चकमार्ग
53	1099	0.087	चकमार्ग
54	1104	0.016	नाली
55	1106	0.025	चकमार्ग
56	1108	0.098	खलिहान
57	1109	0.216	मार्ग
58	1114	0.054	चकमार्ग
59	1120	0.101	नाली
60	1123 क	0.044	चकमार्ग
61	1124	0.180	नवीन परती
62	1127	0.011	चकमार्ग
63	1128	0.019	मार्ग
64	1131	0.036	नाली
65	1132	0.006	नवीन परती
66	1135 मि०	0.041	चकमार्ग
67	1137 क	0.013	नाली
68	1137 ख	2.888	नवीन परती
69	1138 क	0.266	बंजर
70	1147 ख	0.885	नवीन परती
71	1148	0.009	नवीन परती
72	1509	0.329	वृक्षारोपण
73	1511	0.046	नाली
74	1516	0.411	ऊसर
75	1518 क	0.443	ऊसर
76	1534	2.757	ऊसर
77	1150 ज	0.063	ऊसर
	योग	0.676	वृक्षारोपण
		18.902 हेक्टर	

*Riz*  
अवर अभियन्ता

*[Signature]*  
सहायक अभियन्ता

*[Signature]*  
अधिशासी अभियन्ता

-2-

सड़क, या खुले स्थान या उसके भाग के रूप में स्थानीय प्राधिकारी (नगर निगम) में पुर्ननिहित न हो जाय। इसका कोई भी प्रतिकर परिषद द्वारा स्थानीय प्राधिकारी(नगर निगम) को देय नहीं होगा। इस प्रकार धारा 41 के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकारी(नगर निगम) में पुर्ननिहित हो गयी भूमि के बाद उपरोक्त भूमि के अवशेष का प्रतिकर उक्त अधिनियम के अनुसार यदि कोई देय हो तो नगर निगम को भुगतान किया जायेगा।

नगर आयुक्त  
नगर निगम लखनऊ।

(डा० पी०वी० जगनमोहन)  
आवास आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

जिलाधिकारी, लखनऊ को संलग्न सूची सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
मुख्य अभियन्ता, उ०प्र०आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ।  
अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, उ०प्र०आवास विकास परिषद, लखनऊ को सूचनार्थ।  
अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०-113-प्र०आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उनके प०सं० 217  
दिनांक 07.02.12 के संदर्भ में इस आशय के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में उल्लिखित खसरो की  
भूमि का नगर निगम लखनऊ से कब्जा प्राप्त करने का कष्ट करें तथा इस भूमि का अमल दरामद  
परिषद पक्ष में कराकर मुख्यालय को सूचित करें।

लग्नक:-उपरोक्तानुसार

आवास आयुक्त